न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 110/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/383)

1. आम जनता ग्राम बौरोंदा तहसील सैंथल, जिला दौसा राज0 जरिये :– पूरण पुत्र श्री रामधन उम्र लगभग 55 वर्ष, जाति मीना, ग्राम बोरोदा, तहसील सैंथल, जिला दौसा।
2. रामजीलाल पुत्र श्री भौरीलाल उम्र लगभग 65 वर्ष जाति कीर, ग्राम बोरोदा, तहसील सैंथल, जिला दौसा।
3. महेश पुत्र श्री बाबूलाल उम्र लगभग 30 वर्ष जाति कीर, ग्राम बोरोदा, तहसील सैंथल, जिला दौसा।
4. श्रवणलाल पुत्र श्री भगवानसहाय उम्र 60 वर्ष, निवासी बोरोदा, तहसील सैंथल, जिला दौसा।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर दौसा।
2. ग्राम पंचायत बौरोदा जरिये सरपंच तहसील सैंथल, जिला दौसा।
3. सचिव, ग्राम पंचायत बौरोदा तहसील सैंथल, जिला दौसा।
4. तहसीलदार तहसील सैंथल, जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा के आदेश क्रमांक आर 11ए(12) 2013/7693 निर्णय दिनांक 14.09.2015

उपस्थित :–

1. श्री वरूण नागर, वकील अपीलान्ट उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 अनुपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 4 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–23.05.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट दौसा के निर्णय दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 21.12.2022 को पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बोरोदा पं0स0 दौसा के सर्वसम्मत प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 23.03.2010 के आधार पर तहसीलदार दौसा ने अपने पत्र क्रमांकः 16 दिनांक 10.01.2013 व 6052 दिनांक 26.08.2015 एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा ने अपने पत्र क्रमांकः 421 दिनांक 13.03.2013 व 2284 दिनांक 11.09.2015 के द्वारा ग्राम बोरोदा, तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 0.45 है0 में से 0.25 है0 भूमि को आवासविहीन परिवारों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए आबादी हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम बोरोदा में कोई सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित भूमि को आबादी हेतु आरक्षित/सैटअपार्ट करने के सम्बन्ध में तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा को कोई आपत्ति नहीं होना बताया है।

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–10(3)राज–6/2001/5 दिनांक 26.6.2013 के परिपेक्ष्य में एवं राज0 काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–7 यथासंशोधित के अनुसरण में ग्राम बोरोदा तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 0.45 है0 में से 0.25 है0 भूमि को चरागाह से कम करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिस पर जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2015 द्वारा राज0 भू–राजस्व अधिनियम–1956 (अधिनियम सं. 15) की धारा 92 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में ग्राम बोरोदा तहसील दौसा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 0.45 है0 में से 0.25 है0 भूमि को चरागाह से कम करने की स्वीकृति प्रदान कर आबादी विस्तार हेतु आरक्षित (सेटअपार्ट) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट दौसा के निर्णय दिनांक 14.09.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट आम जनता ग्राम बौरोंदा जरिये पूरण पुत्र श्री रामधन वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.09.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा के आदेश क्रमांक 7693 दिनांक 14.09.2015 बाबत् खसरा नम्बर 28 रकबा 0.45 है0 में से 0.25 है0 भूमि को आबादी के लिए सैटअपार्ट करने के संबंध में विधि विरूद्ध एवम तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 व अन्य नियमों के तहत किसी भी चरागाह भूमि को चरागाह से सैटअपार्ट नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी को आवंटित किया जा सकता है। कानूनन यदि कोई भूमि चरागाह से कम करके उसकी किस्म बदली भी जाती है या आवंटित की जाती है तो नियमानुसार उतनी ही भूमि अन्य भूमियों से चरागाह हेतु सैटअपार्ट किये जाने का भी प्रावधान है। खसरा नम्बर 28 रकबा 0.45 है0 में से 0.25 है0 भूमि जब आबादी के लिए सैटअपार्ट की गई तो नियमानुसार 0.25 है० भूमि गांव की अन्य भूमियों से चरागाह के लिए सैटअपार्ट होनी चाहिए थी और यदि किन्ही कारणों से ऐसा नहीं हो सकता था तो उसके लिए कोई पर्याप्त कारण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा को अपने आदेश में अंकित करना चाहिए था। लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवम जिला मजिस्ट्रेट दौसा ने इस तथ्य पर गौर न कर आबादी के लिए चरागाह में से 0.25 है० भूमि को कम करने में उसे आबादी के लिए सैटअपार्ट करने में कानूनी गलती की है। सैटअपार्ट की गई भूमि के संबंध में योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा की पत्रावली में पत्र क्रमांक भू अभिलेख–12 लगा हुआ है, जिसमें कोई दिनांक अंकित नहीं है एवम चाही गई सूचना में तत्समय बौरोदा गांव की आबादी कितनी थी यह भी अंकित नहीं है इस प्रकार यह स्पष्ट तथ्य है कि ग्राम बौरोदा की आबादी का सही आंकलन किये बगैर ही तहसीलदार तहसील दौसा ने सूचना उप जिला कलेक्टर को भिजवाई है।

ग्राम पंचायत ने जो प्रस्ताव संख्या 12 भेजा है वह प्रस्ताव भी सद्भाविक प्रस्ताव नही है एवम ग्राम पंचायत की आबादी के हितार्थ ग्राम बौरोदा के नागरिकों के हितों के लिए नही भेजा गया है, बल्कि उसमें जो प्रस्ताव व अनापत्ति इत्यादि भेजी गई है व जो सूची दिनांक 25.09.2010 की भेजी गई है वह तत्समय की सरपंच कजोडी व उसके पति कैलाश ने अपने चहेते व्यक्तियों को लाभान्वित करने एवं स्वयं को लाभान्वित करने की बदनियति से भेजी है। इसका सबसे बडा प्रमाण तो यह है कि जो 0.25 है0 भूमि आबादी के लिए प्रस्तावित हुई है उसके अलावा शेष 0.20 है0 चरागाह भूमि पर कजोडी सरपंच व उसके पति कैलाश ने आज भी अतिक्रमण कर रखा है एवं वह बदनियति से इस आबादी भूमि को भी हडप करना चाहता है इसलिए यह प्रस्ताव संख्या 12 तत्समय जिला कलेक्टर के समक्ष भेजा गया था व इसमें जिन व्यक्तियों व परिवार को बसाना था उनके फर्जी नाम अंकित किये गये, जिसमें विशेष रूप से प्रथम नाम तो कैलाशचन्द पुत्र रूग्गा सरपंच के पति का है पूर्व में भी ग्राम बौरोदा का सरपंच रह चुका है, द्वितीय नाम महादेव पुत्र ग्यारसीलाल है जो ग्राम बौरोदा का निवासी नही है बल्कि वह उदावाला बासडी का निवासी है। तृतीय नाम हनुमान पुत्र महादेव का है जो भी उदावाला बासडी का है व ग्राम बौरोदा का नही है, चौथा नाम कैलाश पुत्र मूलचन्द भी बोरोदा का न होकर ग्राम बीनावाला का रहने वाला है, पांचवे नम्बर पर जो अंकित किया गया है वह स्वंय सरपंच कजोडी का है। इस प्रकार सरपंच भी अपने को बसाये जाने वाले व्यक्तियों की सूची में शामिल करके चली है। छः नम्बर पर हनुमान पुत्र दुर्गालाल है जो झाझारवाला का रहने वाला है ग्राम बौरोदा का नही है, इसी प्रकार सातवें नम्बर पर हनुमान पुत्र बिरदूराम खरताला

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

का रहने वाला है बौरोदा का रहने वाला नही है। इस प्रकार पूरण पुत्र ग्यारसीलाल, कजोड सरपंच का सगा देवर है व उसके पति कैलाश का सगा भाई है। छगनलाल पुत्र मूलचन्द बीनावाला का रहने वाला है ग्राम बोरोदा का नही है। रामसहाय पुत्र कानाराम भी ग्राम बीनावाला का रहने वाला है ग्राम बोरोदा नही है। रोहिताश पुत्र ग्यारसीलाल नम्बर 11 पर सरपंच का देवर है व उसके पति कैलाश का सगा भाई है। नम्बर 12 पर रामोतार पुत्र मूलचन्द बीनावाला का रहने वाला है नम्बर 13 पर कैलाश पुत्र ग्यारसीलाल नम्बर 1 पर वर्णित कैलाशचन्द ही है अर्थात नम्बर 1 व नम्बर 13 पर एक ही व्यक्ति के नाम दो जगह लिखे गये है। नम्बर 14 पर गोपालसिंह पुत्र हरदानसिंह ग्राम रामपुरा का रहने वाला है बौरोदा का नही है व नम्बर 15 पर देवीसहाय पुत्र भगवानसहाय ग्राम झाझरवाला का निवासी है ग्राम बौरोदा का नही है। बडे आश्चर्य की बात है कि तहसीलदार व उपजिला कलेक्टर ने दिनांक 25.09.2010 की इस लिस्ट पर किसी प्रकार की कोई जांच नही की व सही प्रकार से कोई मौका निरीक्षण भी नही किया। ये सब कार्यवाहीयां सरपंच ने व उसके पति ने अपने व अपने परिवार को लाभ पहुंचाने की गरज से भ्रष्टाचार पूर्ण कार्यवाही करते हुए उक्त प्रस्ताव भिजवाया था। जिला कलेक्टर दौसा ने भी इस सूची पर कोई ध्यान नही दिया। इस प्रकार जिला कलेक्टर दौसा ने आदेश 14.09.2015 पारित करने में एवम ग्राम पंचायत की 0.25 है० भूमि को आबादी में सैटअपार्ट करने में बहुत बडी कानूनी गलती की है।

उक्त आवंटन को हुए आज करीबन 07 वर्ष हो चुके है इन 07 वर्षों में अभी तक भी उक्त भूमि पर कोई आबादी नहीं बसी है एवम पूरी भूमि पर जिसमें चरागाह 0.20 है0 एवं 0.25 है0 आबादी भूमि है पर तत्कालीन सरपंच कजोडी व उसके पति ने कब्जा जमा रखा है। एवम अब वे फर्जी व्यक्तियों के नाम से पट्टे बनाकर उक्त भूमि का दुरूपयोग करने पर आमादा हो रहे है। लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा ने इस तथ्य का बारीकी से विवेचन न कर प्रस्ताव संख्या 12 के आधार पर भूमि को आबादी में सैटअपार्ट करने में कानूनी गलती की है। दिनांक 22.03.2010 को ग्राम पंचायत बौरोदा में श्रीमती कजोडी देवी पत्नि कैलाशचन्द मीना सरपंच थी इससे पूर्व कजोडी के पति कैलाशचन्द मीना सरपंच रह चुके है। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि इसी खसरा नम्बर 28 से लगती हुई भूमि खसरा नम्बर 27 कैलाश पुत्र रूग्गा के नाम की खातेदारी भूमि है एवम उक्त भूमि को आबादी में सैटअपार्ट करने के पीछे यह भी एक दुरभावना तत्कालीन सरपंच कजोडी पत्नि कैलाश की थी लेकिन जिला कलेक्टर दौसा ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर भूमि को आबादी में सैटअपार्ट करने में कानूनी गलती की है। ग्राम बोरोदा में पहले से ही आबादी भूमि काफी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है एवम 0.25 है० भूमि को आबादी में सैटअपार्ट करने की कोई आवश्यकता नही थी लेकिन जिला कलेक्टर दौसा ने उसे आबादी में सैटअपार्ट करने में कानूनी गलती की है। तत्कालीन सरपंच कजोडी मीना ने स्वंय को अपने परिवार के लोगों को एवं रिश्तेदारों व चहेते लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु खसरा नम्बर 28 जो कि बेशकीमती चरागाह भूमि है जो मैन रोड पर है उसे आबादी में सैटअपार्ट करने का प्रस्ताव ग्राम सभा से प्रस्ताव संख्या 12 पारित करवाकर जो निर्णय लेना बतलाया है वह कानूनन शून्य है एवम धारा 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विरूद्ध है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा ने इस तथ्य का बारीकी से विवेचन न कर कानूनी गलती की है।

ग्राम बौरोदा की जनता के हितार्थ यह भी आवश्यक है कि यदि उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तित कर भी दिया गया है तो उसके लिए राजस्थान पंचायत राज नियम के अन्तर्गत ही भूमि के पट्टे काटे जाने चाहिए थे या भूमि का विक्रय किया जाना चाहिए था। जब गांव में लोग बिना पट्टे के व बिना मकानों के रह रहे है तो उन्हे प्राथमिकता न देकर बाहर के लोगों को प्राथमिकता देना उचित नही था। जिन बाहर के लोगों को सूची में सम्मिलित कर प्रस्ताव के साथ भिजवाये गये उन गांवों में झाझरवाला, बीनावाला, खरताना, उदावाला बासंडी, रामपुरा में पहले से ही आबादी कटी हुई थी लेकिन बडे आश्चर्य की बात है कि इन सब व्यक्तियों के न तो निवास का पता किया गया, न जांच की गई एवम ग्राम पंचायत की कथित लिस्ट को प्रस्ताव संख्या 12 के साथ सही मानकर जो 0.25 है० भूमि को आबादी के लिए सैटअपार्ट किया गया है वह आदेश शून्य कलेदम बेअसर है एवम ऐसे आदेश से ग्राम पंचायत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बौरोदा की जनता व वहां के गरीब तबके के लोग काफी प्रभावित हो रहे है। सैटअपार्ट के संबंध मे जो तरमीम हुई है वह तरमीम भी विधि अनुसार नही हुई है। उक्त भूमि मैन रोड की भूमि है, एवम मैन रोड की भूमि होने के कारण काफी बहुमूल्य भूमि है तत्कालीन सरपंच व उसके पति उक्त सम्पूर्ण भूमि को हडप करना चाहते है एवम इसी बदनियति से उक्त प्रस्ताव संख्या 12 ग्राम पंचायत से कथित तौर पर पास कराकर जिला कलेक्टर के समक्ष पेश किया गया था लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा ने सम्पूर्ण पत्रावली का विधिवत विवेचन न कर आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। पूर्व सरपंच कजोडी व उसके पति कैलाश ने कई प्रकार से भूमियों को हडपने की कार्यवाही की है व खसरा नम्बर 28 हाल खसरा नम्बर 818/28 के अलावा खसरा नम्बर 357/3 हाल खसरा नम्बर 357/4 में भी इसी प्रकार की सिफारिशे की है व आबादी में सैटअपार्ट करवाया है व दोनों ही लिस्टों में उसके परिवारजन व मिलने वालों के नाम है।

पिछले दिनों दिनांक 13.12.2022 को अपीलांट्स को यह पता चला कि उक्त 0.25 है० भूमि जो आबादी के लिए सैटअपार्ट हुई है उसके नये खसरा नम्बर 818/28 हो गये है। उक्त भूमि को ग्राम पंचायत पट्टे काटने पर आमादा है एवम वर्तमान सरपंच भी पूर्व सरपंच का ही मिलने वाला है एवम पूर्व सरपंच ने जो दिनांक 25.09.2010 को लिस्ट 15 व्यक्तियों की भेजी है जिसमें अधिकांश नाम तो पूर्व सरपंच के परिवार के है व बाकी नाम उनके मिलने वाले बाहर के व्यक्तियों के है के नाम से पट्टे जारी करने पर आमादा हो रहे है यदि वे ऐसा करते है तो उससे ग्राम की जनता को बहुत बडा नुकसान हो सकता है। इस संबंध में अपीलांट्स जो कि ग्राम बौरोदा के नागरिक है, ने दौसा कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर दिनांक 14.12.2022 को सभी तथ्यों का पता किया व नकल के लिये आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 16.12.2022 को नकल प्राप्त हुई, तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त आदेश की कतई जानकारी नहीं थी। अपील जानकारी होने की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट दौसा के निर्णय दिनांक 14.09.2015 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट्स सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट्स को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 14.09.2015 को निरस्त फरमाने एवम वैकल्पिक प्रार्थना यह है कि प्रस्ताव संख्या 12 को भी निरस्त करवाने की कृपा करें तथा खसरा नम्बर 28 को जिसके हाल खसरा नम्बर 818/28 कर दिये है को पुनः चरागाह में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 4 की ओर से बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2015 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 13.12.2022 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बोरोदा पं.स. दौसा के सर्वसम्मत प्रस्ताव सं. 12 दिनांक 23.03.2010 के आधार पर तहसीलदार दौसा ने अपने पत्र क्रमांक 16 दिनांक 10.01.2013 व 6052 दिनांक 26.08.2015 एवं उप जिला कलक्टर दौसा ने अपने पत्र क्रमांक 421 दिनांक 13.3.2013 व 2284 दिनांक 11.09.2015 के द्वारा ग्राम बोरोदा तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 0.45 है0 में से 0.25 है0 भूमि को आवासविहीन परिवारों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए आबादी हेतु आरक्षित/सैटअपार्ट करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम बोरोदा में कोई सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित भूमि को आबादी हेतु आरक्षित/सैटअपार्ट करने के सम्बन्ध में तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा को कोई आपत्ति नहीं है। संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–10(3)राज–6/2001/5 दिनांक 26.6.2013 के परिपेक्ष्य में एवं राज0 काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–7 यथासंशोधित के अनुसरण में ग्राम बोरोदा तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 0.45 है0 में से 0.25 है0 भूमि को चरागाह से कम करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिस पर जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2015 द्वारा राज0 भू–राजस्व अधिनियम–1956 (अधिनियम सं. 15) की धारा 92 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में ग्राम बोरोदा तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 0.45 है0 में से 0.25 है0 भूमि को चरागाह से कम करने की स्वीकृति प्रदान कर आबादी विस्तार हेतु आरक्षित (सेटअपार्ट) किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट दौसा के अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.09.2015 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर